

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या- 14/2015-16

विमल होनहागा।

वनाम


ए०सी०सी० कम्पनी, झींकपानी।


आदेश

यह वाद दिनांक- 20.01.2016 को वादी विमल होनहागा, पिता- स्व० सिदिऊ होनहागा, निवासी- दोकट्टा, थाना- टोन्टो, पो०- बड़ा झींकपानी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि Recovery of Khas Possession के लिए प्रतिवादी A.C.C Company, Jhinkpani, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी या उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है की वादी की ओर से विगत सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 09.02.2022 को उपस्थित हुए एवं उनका ध्यान सुना।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


23.02.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


23.02.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा